संख्या-09/2017/सा-3-120/दस-2017-909/1987

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष,
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

3- निदेशक, पेंशन निदेशालय,
8वॉ तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-**3** लखनऊः दिनॉकः 1**3** अप्रैल**,** 2017

विषय : लापता सरकारी सेवकों/पेंशनरों के परिवार के अर्ह सदस्य को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा-3-जी0 आई0-88/दस-909-87, दिनांक 20 मार्च, 1987 में यह व्यवस्था है कि- यदि कोई सरकारी सेवक अपने सेवाकाल में अचानक गुम हो जाता है तो एक साल की अवधि व्यतीत होने पर उसके पारिवार को पारिवारिक पेंशन/सेवा एवं मृत्यु आनुतोषिक का भुगतान शासनादेश में वर्णित निर्धारित शर्तों के पूरा करने पर किया जा सकता है।

2- भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर और पेंशनभोगी विभाग के आदेश संख्या-एफ0-1/17/2011-पी0 एण्ड पी0 डब्ल्यू(ई), दिनांक 24 जून, 2013 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई कर्मचारी/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर लापता है तो उसके परिवार द्वारा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराने तथा पुलिस से यह रिपोर्ट कि समस्त प्रयासों के उपरान्त भी लापता सरकारी सेवक/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का पता नही चल सका प्राप्त कर लेने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के छः माह पश्चात् उसके परिवार द्वारा उसकी तैनाती के अन्तिम कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष को पारिवारिक पेंशन, देय वेतन की राशि, देय अवकाश

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

नकदीकरण की राशि तथा जी0पी0एफ0 एवं ग्रेच्युटी का भुगतान स्वीकृत किये जाने हेतु विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञाप में अग्रतर यह व्यवस्था भी की गयी है कि लापता सरकारी सेवक के मामले में यथास्थिति बढ़ी हुयी दर अथवा सामान्य दर पर पारिवारिक पेंशन, लापता सरकारी सेवक के अवकाश की अवधि समाप्त होने अथवा जिस तिथि तक उसके वेतन/पेंशन का भुगतान किया गया है, की अगली तिथि से देय होगी।

3- राज्य सरकार को इस संबंध में प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे है कि केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-06-2013 की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी आदेश जारी किये जाये।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई सरकारी सेवक/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर लापता हो जाता है तो उसके लापता होने की रिपोर्ट उसके परिवार द्वारा पुलिस में दिये जाने तथा पुलिस से यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि समस्त प्रयासों के उपरान्त भी लापता सरकारी सेवक/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का पता नही चल सका, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की छः माह की अवधि के उपरान्त, उसके अवशेष वेतन / पारिवारिक पेंशन / ग्रेच्युटी / अवकाश नकदीकरण का भुगतान शासनादेश दिनांक 20 मार्च, 1987 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित औपचारिकताओं को पूर्ण करने पर किया जा सकता है।

5- शासनादेश दिनांक 20 मार्च 1987 उपर्युक्त सीमा तक तात्कालिक प्रभाव से संशोधित समझा जायेगा। इस आदेश से वे प्रकरण भी आच्छादित होंगे जिनमें सरकारी सेवक/पेंशनर गुमशुदगी की रिपोर्ट इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के पूर्व लिखायी जा चुकी है। शासनादेश दिनांक 20-03-1987 की शेष सभी शर्तें तथा व्यवस्था यथावत रहेंगी।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

--3--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-09/2017/सा-3-120(1)/दस-2017, टी0सी0 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1**)**- श्री राज्यपाल सचिव, उत्तर प्रदेश।

(2)- सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3**)**- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद व महालेखाकार (ऑडिट) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(4**)**- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को इस संदर्भ के साथ कि इस शासनादेश की प्रतिलिपि अपने कार्यालय व तहसील के कार्यालय के सूचना पटल पर लगा दे।

(5**)**- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6**)**- निदेशक, पेंशन निदेशालय 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

(7**)**- निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ।

(8**)**- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

(9**)**- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(10**)**- मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद एवं सचिवालय (इरला चेक) अनुभाग।

(11**)**- सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रचारार्थ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।